

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक R 9570-1654-P&amp;MIS

मंडल मजिस्ट्रेट

विरुद्ध

क्रमांक

तहसील

जिला

उन्नाव

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. . . . . जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. . . . .

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. . . . . तहसील का प्रकरण क्रमांक. . . . .

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
17.6.2015	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला . . . . . BR</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. . . . . 16.6.15</p> <p>के विरुद्ध श्री . . . . .</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/. . . . .</p> <p>. . . . . रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>आवेदक श्री आर. ए. श्री आर. के. 0. प्रस्तुतकार त्रिवारी आर. गौधक उपाधिकारी। तर्क बुरे गये। अनुवाचित का कारण समाधान कारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकार में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>R.K. T. . . . .</p> <p>Noted 16.9.2015 R.K. T. . . . .</p>

निगरानी क्र. : 207।पीबीआर/2013  
शेखर 1654-PBR-15 पेशी दिनांक : 16-06-2015

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के समक्ष ।

अब्दुलमजीद पिता स्व.श्री अब्दुल शकूर --- प्रार्थी

विरुद्ध

म.प्र.शासन व अन्य

--- प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 35 § 3§ म.प्र.भू राजस्व संहिता ।

